<u>न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>दां0प्र0क0-447 / 14</u> <u>संस्था0दि0 21 / 07 / 2014</u> <u>फाई लनं.233504001282014</u>

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

____अभियोजन.

-: <u>विरूद्ध</u>:--

सुमन पिता लल्लू, उम्र 45 वर्ष, जाति—मेहरा, पेशा मजदूरी, ग्राम रानीडोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

<u>----अभियुक्त</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—18 / 10 / 2016 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि० की धारा—456, 354 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने सोमवार मंगलवार की दरम्यानी रात दिनांक 09 / 10.06.14 की रात 12:30 बजे प्रार्थीया चन्द्रकला का घर ग्राम रानीडोंगरी थाना आमला जिला बैतूल में ध्र पुसकर रात्रौ गृह—अतिचार या रात्रौ गृह—भेदन कारित किया। अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 02— दिनांक 13/10/16 को फरियादी चन्द्रकलाबाई तथा अभियुक्त सुमन का राजीनामा होने से भा0द0वि0 की धारा—506 भाग—2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना प्रभारी को सुमन मेहरा द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के संबंध में आवेदन पत्र

देकर बताया कि दिनांक 09/06/14 की रात को उसके घर की उसारी में खिटया पर अकेली सोयी थी उसारी में लाईट जल रही थी, उसका पित और सास गुच्चोबाई शादी में सारणी गये थे, तभी रात को करीब 12:30 बजे गांव का सुमन मेहरा उसकी उसारी के अंदर घुस आया और उसकी खिटयाँ पर बैठकर उसके साथ बुरी नियत से छेडछाड करने लगा और उसका सीना दबाने लगा, वह जागी और चिल्लाई तो पडोसी शिवदयाल, सुरेश, पिल्लु आ गया तो सुमन मेहरा उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया।

- 04— फरियादी का लिखित आवेदन पत्र प्र0पी0 1 है। प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0—2 है। जिसके आधार पर अपराध कमांक 420/14 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 456,354,506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 11/06/14 को घटना का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 05— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

- 1— "आपने सोमवार मंगलवार की दरम्यानी रात दिनांक 09/10.06. 14 की रात 12:30 बजे प्रार्थीया चन्द्रकला का घर ग्राम रानीडोंगरी थाना आमला जिला बैतूल में घुसकर रात्रौ गृह—अतिचार या रात्रौ गृह—भेदन कारित किया?"
- 2— "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अभियोक्त्रि की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया?"

—ः निष्कर्ष एवं उसके आधार :— —ः विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी चन्द्रकला (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय घर के बाहर थी, तभी पुरानी रंजिश पर से आरोपी ने उसके घ ार के सामने आकर उसे गंदी—गंदी गालियाँ देकर जान से मारने की धमकी दिया था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना में की थी जिसकी लिखित शिकायत पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने ऐसी ही रिपोर्ट लेख कराया जाना बताया था।

08— शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 09/06/14 को आरोपी सुमन ने उसके घर के अंदर घुसकर बुरी नियत से उसका सीना दबाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को शिकायत प्र0पी0 1 रिपोर्ट प्र0पी0 2 एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 का ए से ए भाग लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह—अतिचार या रात्रौ गृह—भेदन कारित किया और फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 456, 354 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह—अतिचार या रात्रौ गृह—भेदन कारित किया। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 व 2 का

निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

- 10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुसकर रात्री गृह—अतिचार या रात्री गृह—भेदन कारित किया। अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये की लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियुक्त सुमन को भा०द०वि० की धारा—456, 354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— अभियुक्त के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।
 निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित।
 दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0